फर्द अहकाम

डूंगरसिंह बनाम जोगाराम वगैरा

नाम न्यायालय [illegible]

केस संख्या 78/2020

[illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आदेश व कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
	5/11/24 [illegible]	[illegible] 190/13 [illegible] 190/13 [illegible] 190/13 [illegible] 190/13 [illegible] है। [illegible] निर्णय व डिक्री [illegible] 3/2024 [illegible] 3 में अराजी [illegible] 190/13 [illegible] 190/3 का अंकन हो गया [illegible] रिपोर्ट में अराजी [illegible] 190/13 का ही अंकन है। अतः [illegible] संशोधन [illegible] उक्त संशोधन का निर्णय डिक्री में [illegible] किया जावे, [illegible] रहेगा। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर [illegible] (जिला-जयपुर) राज.
	5/12/24	उक्त प्रकरण के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा के क्रमांक/भू अभि./2024/5335 दिनांक 5/12/2024 के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें निर्णय व डिक्री के क्रम सं. 8 में [illegible] हि० 1/2 दर्ज है [illegible] रिपोर्ट में हि० 1/12 दर्ज [illegible] हि० 1/64 [illegible] हि० 1/64 दर्ज [illegible] तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट का अवलोकन किया गया [illegible] क्रम सं. 8 [illegible] क्रम सं. 8 निर्णय व डिक्री [illegible] हि० 1/2 [illegible] हि० 64 [illegible] किया जावे। [illegible] पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 73 / 2020

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र बी. आर. मीणा
2. उर्मिला देवी पुत्री बंशीधर
3. फुली देवी पुत्री बंशीधर
4. शिम्भुदयाल पुत्र बंशीधर
5. सोमोती देवी पत्नी बंशीधर
6. कन्हैयालाल पुत्र सेडू
7. कृष्णा पुत्री लक्ष्मणराम
8. शक्ति पुत्र लक्ष्मणराम
9. सुशीला देवी पत्नी लक्ष्मणराम
10. हितेश पुत्र लक्ष्मणराम
11. हिमांशी पुत्री लक्ष्मणराम
12. गीता देवी पुत्री अर्जुन
13. चमेली देवी पुत्री अर्जुन
14. रामेश्वर पुत्र अर्जुन
15. महेन्द्र पुत्र अर्जुन
16. रामस्वरूप पुत्र अर्जुन
17. श्रवण लाल पुत्र अर्जुन
18. प्रेम देवी पुत्री अर्जुन
19. रूडा पुत्र श्योला
20. सुवा पुत्र श्योला
21. रमेश पुत्र सुवालाल
22. रमेश दत्तक पुत्र भंवरा उर्फ भूरा

समस्त व्यस्क, जाति–मीना, निवासी–घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज. — वादीगण

बनाम

3. लालाराम पुत्र झुथा

4. तौफली पत्नी भरता

5. धर्मेन्द्र पुत्र भरता

6. अशोक पुत्र भरता

7. नेमीचन्द पुत्र नारायण

8. रामपाल पुत्र नारायण

9. रामजीलाल पुत्र नारायण

10 यादराम पुत्र नारायण

समस्त व्यस्क, जाति मीना, निवासी–घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा जिला–जयपुर राज.

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 3/7/25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि यहकि आराजी हाल खाता संख्या 116 के हाल खसरा नं0 190 रकबा 2.94, है० कुल किता – 1 कुल रकबा 2.94 है० वाकै ग्राम घासीपुरा, पटवार हल्का घासीपुरा,भू. अभि.नि.–खोरी, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार मनबट बंटवारा के आधार पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। तथा आज भी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का कानूनी बंटवारा नही हुआ है किन्तु अब प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है तथा वे वादीगण को उनके कब्जे व काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने लग गये है एवं आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी के विशिष्ट भु–भाग में निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा आराजी मुतनाजा को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है।

दावा दायरी से कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू– भाग पर जबरन निर्माण कार्य करने हेतु अपने साथ निर्माण सामग्री लेकर आये तथा निर्माण कार्य करने लगे तो वादीगण ने उन्हे ऐसा करने से ... प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 को वादग्रस्त आराजी का

बंटवारा करवाने के लिये कहा तो उन्होनें आराजी का बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 ने वादीगण को एलानियां धमकी दी है कि वे वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी के विशिष्ट भू भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे तथा आराजी मुतजाना के विशिष्ट भू भाग का बेचान किसी अजनबी व्यक्ति को कर उसके पक्ष में आराजी के विशिष्ट भू भाग का अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करेगे तथा पुख्ता निर्माण कार्य करके रहेगे तथा आराजी के विशिष्ट भू भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेगें।

प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 अपने अवैध मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा पर पुख्ता निर्माण कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर जबरन अजनबी व्यक्ति का आराजी के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करवा देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रुप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारों में अनावश्यक रूप में मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वाद आराजी के बंटवारे का एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 116 के हाल खसरा नं0 190 रकबा 2.94, है० कुल किता – 1 कुल रकबा 2.94 है0 वाकै ग्राम घासीपुरा, पटवार हल्का घासीपुरा, भू.अभि.नि.–खोरी, तह० शाहपुरा जिला जयपुर राज० में स्थित भुमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 के मध्य सरस नरस व राजस्व नियमावली के मुताबिक खातेदार काश्तकारों द्वारा पूर्व में किये गये मनबट बंटवारे के आधार पर व मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर व खातेदारों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार बंटवारा किया जाकर उक्त बंटवारा का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराया जावे तथा वादीगण को उसके बंटवारे में आयी भूमि का अलग से कब्जा करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण सं0–1 लगायत 10 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या अड़चन पैदा नहीं करे एवं आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से अधिवक्ता श्री हजारी प्रसाद मीणा ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया, जो ... डिक्री किये जाने

हेतु निवेदन किया। प्रकरण को दिनांक 24.02.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को कुरैजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू.अ./2022/09.03.2022 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट का जवाब पेश नही कर सीधी बहस हेतु कथन किया। वकील उभयपक्ष की आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली व कुरैजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। बाद मनन बहस एवं अवलोकन उपरांत पत्रावली व कुरैजात रिपोर्ट से जाहिर होता है कि बटवारा रिपोर्ट मे सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है एवम बटवारा रिपोर्ट मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार तैयार नही की गई है। अतः प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट निरस्त की जाकर तहसीलदार शाहपुरा को पुनः मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके पर कब्जे काश्त एवम रास्ते को ध्यान मे रखते हुए प्रकरण मे पुनः कुरैजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण मे तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू.अ./2024/2454 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रतिवादी ने प्रकरण मे पुनः प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट पर प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट पेश किया। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त आपत्ति का जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना चाहते है। वकील प्रतिवादी वादी ने अपने प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुरैजात रिपोर्ट की पुनरावृति कर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कुरैजात रिपोर्ट खातेदारो की की अनुपस्थिति मे एव बिना सभी खातेदारो को नोटिस दिए बिना मौका वाक्यात एवं खिलाफ कानून तैयार की गई है जिसकी जानकारी खातेदारो को आजतक नही रही है जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। नवीन कुरैजात रिपोर्ट के नक्शा मे दर्शित नवीन खसरा नम्बर 190/1 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे 4 मीटर की चौड़ाई मे नवीन रास्ता दर्शित किया गया है जिसकी खातेदारान् को आवश्यकता ही नही है तथा इस दर्शित प्रस्तावित रास्ता मे लगभग 100 पेड खडे है जिनको काटा जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है तथा भारत सरकार कृषि एवं वानिकी नियमावली के मुताबिक हरे पेडो को काटा जाना गैर कानूनी है तथा भारतीय वन अधिनियम के अनुसार दण्डनीय कार्य है तथा उपरोक्त दर्शित प्रस्तावित रास्ता से आवागमन संभव नही है। उपरोक्त खसरा नम्बर 190 की पश्चिमी सीमा के सहारे लगता खसरा नंबर 76 स्थित है जो इन्ही खातेदारो की खातेदारी भूमि है जिसमें पक्षकारों के रहवास भी बने हुए है तथा इसी प्रस्तावित रास्ता के समानान्तर लगता हुआ एक और रास्ता पहले से जा रहा है जबकि दोनो रास्ते एक जगह मिलने से इनकी चौड़ाई 24 फिट हो जाती है जिससे व्यर्थ ही भूमि खराब होगी तथा न ही खातेदारो को आवश्यकता है जबकी खसरा नंबर 76 के संबंध मे भी श्रीमान् के समक्ष एक वाद बाबत्

पीठासीन अधिकारी कलक्टर

बटवारा उनवानी प्रकरण कैलाश बनाम रूड़ा वगै0 मु0नं0 1/2021 विचाराधीन है जिसमें श्रीमान के समक्ष दोनो प्रकरणों को हमकिता किये जाने का प्रार्थना-पत्र लंबित है तथा दोनों खसरा नंबरान की कुर्रेजात एक साथ मंगवाये जाने से ही प्रकरण का निस्तारण सहजता से हो सकेगा। कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 में दर्शित प्रस्तावित रास्ता की उत्तरी सीमा पर पक्का निर्माण कार्य है जिससे भी उक्त रास्ता से आवागमन संभव नहीं हो सकेगा, इस कारण कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 15.05.2024 काबिल-ए-खारिज है।

वकील वादी ने अपनी सीधी बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा सही बनाई गई है। प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की मंशा से प्रार्थना-पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिर्पोट पेश किया गया है, जो की सारहीन होने खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट एवम आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट में नवीन खसरा नंबर 190/1 की पश्चिमी सीमा के सहारे 4 मीटर चौडाई में नवीन रास्ता दर्शित किया गया है। इस दर्शित प्रस्तावित रास्ते में लगभग 100 पेड़ है, जिनको रास्ते हेतु काटा जाना न्यायसंगत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते में खडे लगभग 100 पेडों को रास्ते हेतु नहीं काटा जावे। कुर्रेजात रिपोर्ट में सभी खातेदारान् का हिस्सा विधिवत तरीके से समुचित रूप से विभाजित किया गया है। अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दावा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल खाता संख्या 116 के हाल खसरा नं0 190 रकबा 2.94, है0 कुल किता – 1 कुल रकबा 2.94 है0 वाके ग्राम घासीपुरा, पटवार हल्का घासीपुरा,भू अभि.नि.-खोरी, तह० शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :-

1. अशोक कुमार पुत्र बी. आर. मीणा जाति मीणा प्लाट नंबर 103 लक्ष्मीनगर बिदारा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/11 रकबा 0.3525 है0 भूमि रहेगी।

है0, 190/7 रकबा 0.1784 है0, 190/12 रकबा 0.1536 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7050 है0 भूमि रहेगी।

3. बाबूलाल पि0 रूडा हि0 1/7, मिश्री पुत्री रूडा हि0 1/7, सुरेन्द्र पुत्र रूडा हि0 1/7, पतासी देवी पत्नी रूडा हि0 1/7, पप्पूराम पुत्र रूडा हि0 1/7, फूलचन्द पुत्र रूडा हि0 1/7, हंसराज पुत्र रूडा हि0 1/7, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/6 रकबा 0.2050 है0, 190/3 (190/13) रकबा 0.1475 है0 किता 2 कुल रकबा 0.3525 है0 भूमि रहेगी।

4. रमेश पुत्र सुवालाल हि0 5/9 बिलारहन, रमेश दत्तक पुत्र पुत्र भंवरा उर्फ भूरा हि0 4/9 राहिन यूनियन बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/4 रकबा 0.1762 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1762 है0 भूमि रहेगी ।

5. खड़गा उर्फ कैलाश पि0 झूंथा हि0 1/4, जयराम पुत्र झूंथा हि0 1/4, लालाराम पुत्र झूंथा हि0 1/4, भोली देवी पत्नी झूंथा (फौत) हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/3 रकबा 0.0838, 190/9 रकबा 0.0925 है0 किता 2 कुल रकबा 0.1763 है0 भूमि रहेगी।

6. उर्मिला देवी पुत्री बन्शीधर हि0 1/15, फुली देवी पुत्री बन्शीधर हि0 1/15, सुनीता पत्नी शिम्भुदयाल हि0 1/ 45 राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन , ना0 लक्ष्य पुत्र शिम्भुदयाल सं0 माता सुनीता हि0 1/45 राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन, ना0 हर्ष पुत्र शिम्भुदयाल सं0 माता सुनीता हि0 1/45 राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन, कन्हैयालाल पुत्र सेडू हि0 1/3, कृष्णा पुत्री लक्ष्मणराम हि0 1/75, सोमोती देवी पत्नी बंशीधर हि0 1/15, शक्ति पुत्र लक्ष्मणराम हि0 1/75, सुशीला पत्नी लक्ष्मणराम हि0 1/75, हिमांशी पुत्री लक्ष्मणराम हि0 1/75, हितेष पुत्र लक्ष्मणराम हि0 1/75, गीता देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/168, चमेली देवी पुत्री अर्जन हि0 1/168, रामेश्वर पुत्र अर्जुन हि0 53/672, रामस्वरूप पुत्र अर्जुन हि0 53/672, श्रवण लाल पुत्र अर्जुन हि0 53/672, प्रेम देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/168, महेन्द्र पुत्र अर्जुन हि0 53/672 जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/8 रकबा 0.2954 है0, 190/5 रकबा 0.4096 है0 किता 2 कुल रकबा 0.7050 है0 भूमि रहेगी।

नारायण हि0 1/6, सरजु देवी पत्नी नारायण हि0 1/6 (फौत), जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/1 रकबा 0.1632 है0, 190/10 रकबा 0.1893 है0 किता 2 कुल रकबा 0.3525 है0 भूमि रहेगी।

8. बाबूलाल पुत्र रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, मिश्री देवी पुत्री रूडा हि0 1/56 जाति मीणा, राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, सुरेन्द्र पुत्र रूडा हि0 1/56 जाति मीणा राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, अशोक कुमार पुत्र भरताराम हि0 1/144 जाति मीना, अशोक कुमार पुत्र बी.आर.मीणा हि0 1/8, जाति मीणा प्लाट नंबर 103 लक्ष्मीनगर बिदारा, उर्मिला देवी पुत्री बंशीधर हि0 1/60 जाति मीना, कन्हैयालाल पुत्र सेडू हि0 1/2 (1/12) जाति मीना, कृष्णा पुत्री लक्ष्मणराम हि0 1/300 जाति मीना, खडगा उर्फ कैलाश पुत्र झूंथा हि0 1/64 जाति मीना, गीता देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/672 जाति मीना, चमेली देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/672, जयराम पुत्र झूंथा हि0 1/64, तोफली देवी पत्नि भरताराम हि0 1/144, धर्मेन्द्र कुमार भरताराम हि0 1/144, नेमीचन्द पुत्र नारायण हि0 1/48, पतासी देवी पत्नि रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, पप्पूराम पुत्र रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, प्रेम देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/672, फूलचन्द पुत्र रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, फूली देवी पुत्री बंशीधर हि0 1/60, भोली देवी पत्नि झूंथा हि0 1/64, महेन्द्र पुत्र अर्जुन हि0 53/2688, यादराम पुत्र नारायण हि0 1/48, रमेश पुत्र सुवालाल हि0 125/3674, रमेश दत्तक पुत्र भंवरा उर्फ भूरा हि0 837/29392 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाहपुरा, रामजीलाल पुत्र नारायण हि0 1/48, रामपाल पुत्र नारायण हि0 1/48, रामेश्वर पुत्र अर्जुन हि0 53/2688, रामस्वरूप पुत्र अर्जुन हि0 53/2688 जाति मीना सा0 देह, नाबालिग लक्ष्य पुत्र शिम्भुदयाल सरंक्षक माता सुनिता हि0 1/180 राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, लाल (लाला) पुत्र झूंथा हि0 1/64, शक्ति पुत्र लक्ष्मणराम हि0 1/300, श्रवणलाल पुत्र अर्जुन हि0 53/2688 जाति मीणा, सुनिता पत्नि शिम्भुदयाल हि0 1/180 जाति मीना राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन, सरजो देवी पत्नी नारायण हि0 1/48 जाति मीना, सुवा पुत्र श्योला हि0 1/4 जाति मीना

मीना, हिमांशी पुत्री लक्ष्मणराम हि0 1/300 जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/14 रकबा 0.12 है0 किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 भूमि रहेगी।

नोट– वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की गई है जिसके तहत ध्यान रहे रास्ते की भूमि से हरे पेड़ नहीं हटाये जावे। शेष प्रस्तावित रास्ता यथावत रहेगा।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3/7/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

नोट :- न्यायालय आदेश दिनांक 5/11/24 की अनुपालना में निर्णय दिनांक 3/7/24 के क्रम संख्या 3 में वर्णित आ०खा०नं० 190/3 के बजाय 190/13 का संशोधन किया जाता है अथवा 190/3 के बजाय 190/13 पढ़ा जावे

5/11/24

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

नोट :- आदेश दिनांक 5/11/24 की अनुपालना में निर्णय दिनांक 3/7/24 के क्रम सं. 8 में वर्णित कन्हैयालाल पि० हेतु का हिस्सा 1/2 के बजाय 1/12 एवं लाला पुत्र धोंधा के बजाय लाला पुत्र रोंधा के संशोधन का अंकन किया जाता है

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

1. पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

2. वाद संख्या :– 73/2020

1. अशोक कुमार पुत्र बी. आर. मीणा
2. उर्मिला देवी पुत्री बंशीधर
3. फुली देवी पुत्री बंशीधर
4. शिम्भुदयाल पुत्र बंशीधर
5. सोमोती देवी पत्नी बंशीधर
6. कन्हैयालाल पुत्र सेडू
7. कृष्णा पुत्री लक्ष्मणराम
8. शक्ति पुत्र लक्ष्मणराम
9. सुशीला देवी पत्नी लक्ष्मणराम
10. हितेश पुत्र लक्ष्मणराम
11. हिमांशी पुत्री लक्ष्मणराम
12. गीता देवी पुत्री अर्जुन
13. चमेली देवी पुत्री अर्जुन
14. रामेश्वर पुत्र अर्जुन
15. महेन्द्र पुत्र अर्जुन
16. रामस्वरूप पुत्र अर्जुन
17. श्रवण लाल पुत्र अर्जुन
18. प्रेम देवी पुत्री अर्जुन
19. रूडा पुत्र श्योला
20. सुवा पुत्र श्योला
21. रमेश पुत्र सुवालाल
22. रमेश दत्तक पुत्र भंवरा उर्फ भूरा

समस्त व्ययस्क, जाति–मीना, निवासी–घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज. – वादीगण

बनाम

1. जयराम पुत्र झुथा
2. खड्गा उर्फ केलाश पुत्र झुथा
3. लालाराम पुत्र झुथा
4. तोफली पत्नी भरता

9. रामजीलाल पुत्र नारायण
10. रामदयाल पुत्र नारायण
समस्त काश्तकार, जाति मीणा, निवासी–घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा जिला–जयपुर राज0

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
– प्रतिवादीगण

दावा पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 3/7/24

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल खाता संख्या 116 के हाल खसरा नं0 190 रकबा 2.94 है0 कुल किता – 1 कुल रकबा 2.94 है0 वाकी ग्राम घासीपुरा, पटवार हल्का घासीपुरा,भू अभि.नि.–खोरी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि का खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. अशोक कुमार पुत्र बी. आर. मीणा जाति मीणा प्लाट नंबर 103 लक्ष्मीनगर बिदारा खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/11 रकबा 0.3525 है0 भूमि रहेगी।
2. सुवा पि0 श्योला जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/2 रकबा 0.3730 है0, 190/7 रकबा 0.1784 है0, 190/12 रकबा 0.1536 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7050 है0 भूमि रहेगी।
3. बाबूलाल पि0 रूडा हि0 1/7, मिश्री पुत्री रूडा हि0 1/7, सुरेन्द्र पुत्र रूडा हि0 1/7, पतासी देवी पत्नी रूडा हि0 1/7, पप्पूराम पुत्र रूडा हि0 1/7, फूलचन्द पुत्र रूडा हि0 1/7, हंसराज पुत्र रूडा हि0 1/7, जाति मीणा सा0 देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/6 रकबा 0.2050 है0, 190/3 (190/13) रकबा 0.1475 है0 किता 2 कुल रकबा 0.3525 है0 भूमि रहेगी।
4. रमेश पुत्र सुवालाल हि0 5/9 बिलारहन, रमेश दत्तक पुत्र पुत्र भंवरी उर्फ भूरा हि0 4/9 राहिन यूनियन बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/4 रकबा 0.1762 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1762 है0 भूमि रहेगी ।
5. खड़गा उर्फ कैलाश पि0 झूंथा हि0 1/4, जयराम पुत्र झूंथा हि0 1/4, लालाराम पुत्र झूंथा हि0 1/4, भोली देवी पत्नी झूंथा (फौत) हि0 1/4 जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/3 रकबा 0.0838, 190/9 रकबा 0.0925 है0 किता 2 कुल रकबा 0.1763 है0 भूमि रहेगी।
6. उर्मिला देवी पुत्री बन्शीधर हि0 1/15, फुली देवी पुत्री बन्शीधर हि0 1/15, सुनीता पत्नी शिम्भुदयाल हि0 1/ 45 राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन , ना0 लक्ष्य पुत्र शिम्भुदयाल सं0 माता सुनीता हि0 1/45 राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन, ना0 हर्ष पुत्र शिम्भुदयाल सं0 माता सुनीता हि0 1/45 राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन, कन्हैयालाल पुत्र सेडू हि0 1/3, कृष्णा

पुत्री अर्जुन हि0 1/168, चमेली देवी पुत्री अर्जन हि0 1/168, रामेश्वर पुत्र अर्जुन हि0 53/672, रामस्वरूप पुत्र अर्जुन हि0 53/672, श्रवण लाल पुत्र अर्जुन हि0 53/672, प्रेम देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/168, महेन्द्र पुत्र अर्जुन हि0 53/672 जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/8 रकबा 0.2954 है0, 190/5 रकबा 0.4096 है0 किता 2 कुल रकबा 0.7050 है0 भूमि रहेगी।

7. तोपली पत्नी भरताराम हि0 1/18, धर्मेन्द्र कुमार पुत्र भरताराम हि0 1/18, अशोक पुत्र भरताराम हि0 1/18, नेमीचन्द पुत्र नारायण हि0 1/6, रामपाल पुत्र नारायण हि0 1/6, रामजीलाल पुत्र नारायण हि0 1/6, यादराम पुत्र नारायण हि0 1/6, सरजु देवी पत्नी नारायण हि0 1/6 (फौत), जाति मीना सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190/1 रकबा 0.1632 है0, 190/10 रकबा 0.1893 है0 किता 2 कुल रकबा 0.3525 है0 भूमि रहेगी।

8. बाबूलाल पुत्र रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, मिश्री देवी पुत्री रूडा हि0 1/56 जाति मीणा, राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, सुरेन्द्र पुत्र रूडा हि0 1/56 जाति मीणा राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा, अशोक कुमार पुत्र भरताराम हि0 1/144 जाति मीना, अशोक कुमार पुत्र बी.आर.मीणा हि0 1/8, जाति मीणा प्लाट नंबर 103 लक्ष्मीनगर बिदारा, उर्मिला देवी पुत्री बंशीधर हि0 1/60 जाति मीना, कन्हैयालाल पुत्र सेडू हि0 1/2 जाति मीना, कृष्णा पुत्री लक्ष्मणराम हि0 1/300 जाति मीना, खडगा उर्फ कैलाश पुत्र झूंथा हि0 1/64 जाति मीना, गीता देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/672 जाति मीना, चमेली देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/672, जयराम पुत्र झूंथा हि0 1/64, तोफली देवी पत्नि भरताराम हि0 1/144, धर्मेन्द्र कुमार भरताराम हि0 1/144, नेमीचन्द पुत्र नारायण हि0 1/48, पतासी देवी पत्नि रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, पप्पूराम पुत्र रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, प्रेम देवी पुत्री अर्जुन हि0 1/672, फूलचन्द पुत्र रूडा हि0 1/56 राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, फूली देवी पुत्री बंशीधर हि0 1/60, भोली देवी पत्नि झूंथा हि0 1/64, महेन्द्र पुत्र अर्जुन हि0 53/2688, यादराम पुत्र नारायण हि0 1/48, रमेश पुत्र सुवालाल हि0 125/3674, रमेश दत्तक पुत्र भंवरा उर्फ भूरा हि0 837/29392 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाहपुरा, रामजीलाल पुत्र नारायण हि0 1/48, रामपाल पुत्र नारायण हि0 1/48, रामेश्वर पुत्र अर्जुन हि0 53/2688, रामस्वरूप पुत्र अर्जुन हि0 53/2688 जाति मीना सा0 देह, नाबालिग लक्ष्य पुत्र शिम्भुदयाल सरंक्षक माता सुनिता हि0 1/180 राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, लाल पुत्र झूंथा हि0 1/64, शक्ति पुत्र लक्ष्मणराम हि0 1/300, श्रवणलाल पुत्र अर्जुन हि0 53/2688 जाति मीणा, सुनिता पत्नि शिम्भुदयाल हि0 1/180 जाति मीना राहिन यूको बैंक शाहपुरा मुर्तहीन, सरजो देवी पत्नी नारायण हि0 1/48 जाति मीना, सुवा पुत्र श्योला हि0 1/4 जाति मीना राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाहपुरा, सुशीला देवी पत्नि लक्ष्मणराम हि0 1/300 जाति मीना, सोमोती देवी पत्नी बंशीधर हि0 1/60 राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, नाबालिग हर्ष पुत्र शिम्भुदयाल सरंक्षक माता सुनिता हि0 1/180 जाति मीना राहिन यूको बैंक शाखा शाहपुरा, हंसराज पुत्र रूडा हि0 1/56 ... हि0 1/300 जाति

हिस्से में आराजी खसरा नंबर 190 / 14 रकबा 0.12 है0 किता 1 कुल रकबा 0.12 है0 भूमि रहेगी।

नोट– वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की गई है जिसके तहत ध्यान रहे रास्ते की भूमि से हरे पेड़ नहीं हटाये जावे। शेष प्रस्तावित रास्ता यथावत रहेगा।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहमत पैदा नहीं करे, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपभोग व उपयोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 3/7/24 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(अशोक ...)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

नोट :- न्यायालय आदेश दिनांक 5/11/24 की अनुपालना में डिक्री दिनांक 3/7/24 के क्रम संख्या 3 में वर्णित खसरा नं 130/3 के स्थान पर 190/13 पढ़ा जावे।

5/11/24

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

नोट :- न्यायालय आदेश दिनांक 5/11/24 की अनुपालना